न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुतफर्रिक संख्या– 10/07 सन् 2007

बउनवानी :–शिवराज सिंह पुत्र नाथू सिंह राजपूत निवासी चौथ का बरवाडा (मृतक) का.मु.

1. भवंर सिंह पुत्र शिवराज सिंह राजपूत निवासी चौथ का बरवाडा तह0 चौथ का बरवाडा
2. शक्ति सिंह पुत्र शिवराज सिंह राजपूत निवासी चौथ का बरवाडा तह0 चौथ का बरवाडा
3. बनवीर पुत्र शिवराज सिंह राजपूत निवासी चौथ का बरवाडा तह0 चौथ का बरवाडा
4. चन्द्र कवंर पत्नि शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी चौथ का बरवाडा तह0 चौथ का बरवाडा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

(मुतफर्रिक प्रार्थना पत्र विरूद्ध जिला कलेक्टर के आदेश एफ.12(4)ई.भ./राजस्व/94/1880–87 दिनांक 25.4.2001 जिसके द्वारा प्रार्थी के ईट भटटा की स्वीकृति निरस्त की गयी है।)

उपस्थित : 1. श्री श्रीदास सिंह राजपूत वकील प्रार्थीगण
2. श्री महावीर चौधरी पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– दिनांक 18.3.2019

प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर से रिमाण्ड होकर सुनवायी हेतु इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया है। प्रकरण में जिला कलेक्टर कार्यालय के आदेश आदेश कमांक प.12(4)ई.भ./राजस्व/94/690–97 दिनांक 15.4.1995 जिसके द्वारा ग्राम चौथ का बरवाडा की आराजी ख0न0 1998/1 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा गै0मु0 खारडा सिवाचक मे से 1 बीघा भूमि श्री शिवराज सिंह पुत्र श्री नाथू सिंह राजपूत निवासी चौथ का बरवाडा को ईट भटटा स्थापित करने हेतु पांच वर्ष की अवधि के लिए लीज पर आवंटित की गयी थी। प्रार्थी द्वारा उक्त लीज अवधि को दिनांक 15.4.2000 से आगे की अवधि के लिए नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत जिसको जिला कलेक्टर के आदेश कमांक एफ.12(4)ई.भ./राजस्व/94/1880–97 दिनांक 25.4.2001 से निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्व अपीलार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी जो राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 28.8.2002 से खारिज कर दी गयी इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में पेश की गयी जो मण्डल के आदेश दिनांक 29.5.2007 से इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की गयी कि अपीलार्थी की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर एवं अपीलार्थी की सुनवायी कर पुनः निर्णय पारित करे।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे प्राप्त होने पर प्रार्थी शिवराज सिंह के वारिसान की ओर से श्रीदास सिंह राजपूत वकील ने वकालात नामा मय का0मु0 प्रार्थना पेश किया गया। इसके अतिरिक्त तहसीलदार, उपजिला कलेक्टर एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति चौथ का बरवाडा से संयुक्त मौका रिपोर्ट तलब की गयी है। मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि जिला कलेक्टर ने अपने आदेश कमांक प.12(4)ई.भ./राजस्व/94/690–97 दिनांक 15.4.1995 से प्रार्थी के पिता श्री शिवराज सिंह पुत्र नाथू सिंह के नाम ग्राम चौथ का बरवाडा की आराजी ख0न0 1998/1 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा गै0मु0 खारडा सि0च0 मे से 1 बीघा भूमि

डी0 एस0 पी0 सिंह
जिला कलेक्टर

ट भटटा स्थापित करने हेतु पांच वर्ष की अवधि के लिए लीज पर आवंटित की गयी थी। के पिता ने लीज अवधि 15.4.2000 से आगे की अवधि के लिए नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र त किया गया था जिसको प्रार्थी को बिना सुनवायी का अवसर दिये एवं मौके की जॉच किये ना ही जिला कलेक्टर कार्यालय के आदेश एफ.12(4)ई.भ./राजस्व/94/1880–97 दिनांक 25. 2001 से इस कथन के साथ निरस्त कर दिया कि प्रार्थी का ईट भटटा आबादी से 1/2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो आबादी से बिल्कुल निकट है जिससे वायु प्रदूषण होने और अग्नि काण्ड जैसी घटनाओं का होना सम्भावित है तथा चौथ माता का मंदिर, यात्री धर्मशालाए और वन भूमि स्थित है इसलिए ईट भटटा जैसी स्वीकृति को आगे बढाना उचित नही मानते हुए नवीनीकरण प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। यह कथन भी किया कि राजस्थान भू राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तन) नियम,2007 के 4(ग) किसी औद्योगिक ईकाय या चूना भटटे या किसी क्रेशर ईकाई या किसी औद्योगिक क्षेत्र के प्रयोजन के लिए ग्राम आबादी की बाहरी सीमाओं के 1.5 कि.मी. के अर्धव्यास के भीतर आने वाली भूमि यह निर्बन्धन वहा लागू नही होगा जहॉ संपरिवर्तन ईट भटटे या प्रदूषण रहित उद्योग, लघु या कुटीर उद्योग के लिए चाहा गया है।'' यह कथन भी किया कि प्रार्थी को आवंटित भूमि पर मुताबिक मौका रिपोर्ट दिनांक 8.1.2019 के अनुसार प्रार्थी का ईट भटटा (कजावा) बिना चिमनी का वर्तमान में संचालित है एवं उक्त स्थान पर दो अर्ध पक्के कमरे बने हुए है जिसमे विधुत कनेक्शन हो रहा है तथा मौके पर ईट बनाने के लिए कच्ची मिटटी लगभग पचास ट्रोली पडी हुई है तथा लगभग बीस हजार पक्की ईटें कजावे को खोलकर बेचने के लिए रखी हुई है एवं लगभग दो ट्रोली चूरी पडी हुई है। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी का कजावा भेडोला रोड़ पर स्थित है जहॉ पर गाडिया लुहारो के कुछ मकान बने हुए है कजावा के आस पास कोई आबादी नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया कि जिला कलेक्टर कार्यालय के आदेश एफ.12(4)ई.भ./राजस्व/94/1880--97 दिनांक 25.4.2001 में किसी प्रकार की वैद्यानिक त्रृटि नही है। क्योकि प्रार्थी का ईट भटटा की लीज अवधि 15.4.2000 से आगे की अवधि के लिए नवीनीकरण करवाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसलिए निरस्त कर दिया क्योकि प्रार्थी का ईट भटटा आबादी से 1/2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो आबादी से बिल्कुल निकट है जिससे वायु प्रदूषण होने और अग्नि काण्ड जैसी घटनाओं का होना सम्भावित है तथा चौथ माता का मंदिर, यात्री धर्मशालाए और वन भूमि स्थित है इसलिए ईट भटटा जैसी स्वीकृति को आगे बढाना उचित प्रतीत नही होता है। यह तर्क भी दिया कि उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा द्वारा दिनांक 8.1.2019 को उक्त ईट भटटे की भूमि का संयुक्त मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट न्यायालय मे पेश की गयी है जिसके अनुसार साबिक ख0न0 1998/1 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा के हाल ख0न0 156 रकबा 3.38 है0 बने है। ख0न0 1056 रकबा 3.38 है0 के वर्तमान जमाबन्दी 2070–73 मे तीन ख0न0 बन गये है जिसमे ख0न0 1056 रकबा 0.88 है0, गै.मु. चरागाह, ख0न0 5411/1056 रकबा 1.37 है0, गै0मु0 आबादी, ख0न0 5582/5411 रकबा 1.13 है0 सरकारी कार्यालय एवं भवन हेतु आरक्षित है तथा प्रार्थी का ईट भटटा भी वर्तमान में ख0न0 5582/5411 रकबा 1.13 है0 पर स्थापित है जो सरकारी कार्यालयों एवं भवन हेतु आरक्षित की हुई है। इसके अतिरिक्त मुताबिक मौका रिपोर्ट उक्त ईट भटटा भेडोला रोड़ पर बनी आबादी से 70 मीटर तथा मुख्य आबादी से 350 मीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसी स्थिति में राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांक एफ.6(33)राज–6/ 2001/13 दिनांक 25.7.2011 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व (ईट भटटो की स्थापना के लिए भूमि का आवंटन) नियम,1987 के नियम 7(2) (क) और (ग) की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमे प्रावधान है कि ईट भटटो के लिए आवंटित की जाने वाली भूमि ग्राम पंचायत से एक कि. मी. के अन्दर नही होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश

डॉ० एस.पी. सिंह
जिला कलेक्टर

A4/3

...14(Tech/(Gen-17)RSPCB/MUID/337 date 12/7/2016 में भी आवा कजावा हेतु कुम्हारों को आवंटित की जाने वाली भूमि भी आबादी व वन क्षेत्र से 1 कि.मी. दूर होना अनिवार्य बताया गया है। चूंकि इस प्रकरण में ईट भटटे की दूरी आबादी से 320 मीटर है ऐसी स्थिति मे यदि उक्त ईट भटटा संचालित करने की अनुमति दी जावेगी तो वायु प्रदूषण होने और अग्नि काण्ड जैसी घटनाओं का होना सम्भावित है तथा चौथ माता का मंदिर, यात्री धर्मशालाए और वन भूमि स्थित है इसलिए ईट भटटा जैसी स्वीकृति को आगे बढाना उचित प्रतीत नही होता है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहॅचूता हूॅं, कि इस कार्यालय के आदेश एफ.12(4)ई.भ./राजस्व/94/1880--97 दिनांक 25.4.2001 में किसी प्रकार की वैद्यानिक त्रृटि नही है। क्योकि प्रार्थी का ईट भटटा आबादी क्षेत्र में आने के कारण प्रार्थी द्वारा ईट भटटे की लीज अवधि 15.4.2000 से आगे की अवधि के लिए नवीनीकरण करवाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसलिए निरस्त किया गया है क्योकि प्रार्थी का ईट भटटा आबादी से 1/2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था तथा वर्तमान मे भी मुख्य आबादी से 320 मीटर की दूरी पर स्थिति है जो आबादी से बिल्कुल निकट है जिससे वायु प्रदूषण होने और अग्नि काण्ड जैसी घटनाओं का होना सम्भावित है तथा चौथ माता का मंदिर, यात्री धर्मशालाए और वन भूमि स्थित है इसके अतिरिक्त प्रार्थी का ईट भटटा वर्तमान में ख0न0 5582/5411 रकबा 1.13 है0 पर स्थापित है जो सरकारी कार्यालयों एवं भवन हेतु आरक्षित की हुई है। ऐसी स्थिति में ईट भटटा जैसी स्वीकृति को आगे बढाना उचित नही समझता हूॅं।

अतः उपंरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुतफर्रिक प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं इस कार्यालय का आदेश एफ.12(4)ई.भ./राजस्व/94/1880–97 दिनांक 25.4.2001 में किसी प्रकार की वैद्यानिक त्रृटि नही होने के कारण यथावत रखा जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.3.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.06 13:20:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: